35.

66

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्र. एफ-4-2/2012/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्ता संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्षं,
मध्यप्रदेश।

विषयः-भंडारक्रय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेशन।
संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.एफ.-4-2/2010/नियम/चार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010

विषयांतर्गत वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन के द्वारा शासकीय कार्यो के लिये भंडार क्रय करते समय न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेशन किये जाने के संबंध में, केन्द्रीय सर्तकता आयोग के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2007 की प्रति संलग्न करते हुए सभी विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि इस आदेश के निर्वचन में भिन्न-भिन्न प्रकियाये विभागों के द्वारा अपनाई जा रही हैं। इस संबंध में न्यूनतम निविदाकार से निगोशियेशन किये जाने के लिये निम्न स्थितियां स्पष्ट की जाती हैं :-

1. किसी भी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार से केन्द्रीय सर्तकता आयोग के ज्ञापन दिनांक 3.3.2007 में उल्लेखित स्थितियों को छोड़कर, निगोशियेशन किया जाना प्रतिबंधित है। यदि न्यूनतम निविदाकार की दरें अनावश्यक रुप से बहुत अधिक पाई जाती हैं, तो पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिये।

2. केन्द्रीय सर्तकता आयोग के निर्देश दिनांक 3.3.2007 में यह स्पष्ट किया गया है कि तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से पुनः निविदा आंमत्रित करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, उस दौरान की अवधि के लिये न्यूनतम निविदाकार से तात्कालिक आवश्यकता की मात्रा के क्रय की कार्यवाही की जा सकती है। शेष आवश्यक क्रय की मात्रा पुनः निविदा आमंत्रित होने के पश्चात की जाना चाहिये।

3. न्यूनतम निविदाकार से सामपत्तिक मदों (proprietary items) के लिये, ऐसी मदे जिनकी आपूर्ति सीमित प्रदायकर्ताओं द्वारा की जाती है एवं जहां यह शंका हो कि निविदाकारों के द्वारा समूह (cartel) बनाया जा रहा हो, को छोड़कर निगोशियेशन किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

4. निगोशियेशन किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही इसे किया जाना चाहिये तथा संपूर्ण प्रकिया एवं निगोशियेशन की कार्यवाही लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक होगा।

5. प्रत्येक निविदा सूचना में यह अनिवार्य रुप से उल्लेखित किया जाना होगा कि केन्द्रीय सर्तकता आयोग के निर्देशों के अनुसार ही निगोशियेशन की कार्यवाही की जायेगी।

6. निविदा सूचना में यह आवश्यक रुप से स्पष्ट किया जाना चाहिये कि यदि न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित सम्पूर्ण सामग्री की मात्रा प्रदाय नहीं की जाती है, तो शेष सामग्री की मात्रा अन्य निविदाकारों के मध्य किस अनुपात में बांटी जावेगी। निविदा सूचना में इस शर्त के न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारदर्शी (transparent), योग्य (Fair)एवं समान (Equitable)अवसर देते हुए प्रदाय की मात्रा का विभाजन न्यूनतम निविदाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकारों के मध्य किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अजय नाथ) 13.3.2012
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ.4-2/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक मार्च, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग